न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :131/2017

-:: वादी ::-	बनाम	-:: प्रतिवादी ::-
1. बगदाराम पुत्र कुन्नाराम जाति-कुमावत, निवासी-बांझाकुड़ी तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. तारीख रजू:.04/07/2017

उपस्थित:- 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।

2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 29/05/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बांझाकुड़ी, पटवार हल्का-बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण में वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 08-06 बीघा, खसरा नम्बर 443 रकबा 13-15 बीघा की आई हुई हैं। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, उक्त आराजी में वादी का नाम बाबुलाल पुत्र कुन्नाराम चला आ रहा है, जबकि वादी का सही नाम बगदाराम ही है, इसी प्रकार सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र में भी वादी का सही नाम बगदाराम ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन आर.आई. पटवारी ने वादी बगदाराम के नाम का इन्द्राज बाबुलाल कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री की तारिफ में आता है जबकि वादी का सही नाम बगदाराम है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। जिसको दुरुस्त कराने बाबत् यह वादपत्र घोषणा व दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल इन्द्राज है , जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं सभी सरकारी योजनओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम बाबुलाल के स्थान पर बगदाराम दुरुस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरुस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम बाबुलाल इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से दिनांक 2/6/2017 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरुस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत् अपने नाम की दुरुस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत् बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से से प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 2/6/2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार होने पर बमुकाम बांझाकुड़ी जैतारण में पैदा हुआ है जो अंदर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज बाबूलाल पुत्र कुन्नाराम के स्थान पर वास्तविक नाम बगदाराम पुत्र कुन्नाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प-बांजाकुड़ी में पेश हुई। पत्रावली मय दस्तावेजात, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में शहादत के समर्थन में वादी स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र एवं गवाह का साक्ष्य शपथ-पत्र एवं राशन कार्ड संख्या 009037700061, पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/226161, आधार कार्ड सं. 626925557492, पेन कार्ड सं. BZKPR1294K एवं डी.एल. नं. RJ-22/DLC/17913 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम बगदाराम पुत्र कुन्नाराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से बाबूलाल पुत्र कुन्नाराम दर्ज नाम के स्थान पर बगदाराम पुत्र कुन्नाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांझाकुड़ी, पटवार हल्का-बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण में वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 08-06 बीघा, खसरा नम्बर 443 रकबा 13-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बाबूलाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम बगदाराम पुत्र कुन्नाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner